संख्या–2050 / 38–4–13–05 (बजट) / 2012

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–01 नवम्बर, 2013

विषयः–लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–107 / 38–4–2013–05 (बजट) / 2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण की पुनरीक्षित लागत, आवासों में सोलर पावर पैक, एल0ई0डी0 लाइट्स तथा डी0सी0 फैन आदि की आपूर्ति व स्थापना हेतु विशिष्टियॉ निर्धारण तथा सामान्य एवं एस0सी0पी0 के लिये धनराशि के अनुपात के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायः–

2–(क) लोहिया ग्रामीण आवास की पुनरीक्षित लागत तथा लक्ष्य निर्धारण :–

(1) वर्ष–2013 से लागू लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल आफ रेट के अनुसार निर्माण की लागत में वृद्धि को देखते हुए प्रति आवास शासकीय सहायता रूपये 01 लाख से बढ़ाकर रूपये 01 लाख 30 हजार होगी तथा रूपये 25,000 लाभार्थी अंश होगा । वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लोहिया आवासों के लिये उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए निर्मित किये जाने वाले आवासों की संख्या को तद्नुसार समायोजित कर दिया जायेगा। आवासों में सोलर लाइट के साथ पंखा भी लगाया जायेगा। सोलर लाइट एल0ई0डी0 होगी व मोबाइल चार्ज करने के लिए एक प्वाइन्ट भी दिया जायेगा। इस हेतु लागत पूर्व में स्वीकृत रूपये 15,000 की सीमा बढ़ाकर रूपये 30,000 तक की जाती है। अतः लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास की कुल लागत रूपये 1,85,000 होगी, जिसमें रूपये 1,60,000 शासकीय अंश होगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधानित बजट रू0 620.00 करोड़ में से सामान्य मद में रू0–25.00 करोड़ की धनराशि आरक्षित की गई है और निर्मित होने वाले आवासों की सख्या का आगणन शेष धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

(ख) लोहिया ग्रामीण आवास में सोलर लाइट एवं फैन की विशिष्टियों तथा कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण करते हुए उनके मध्य कार्य का बँटवारा :–

लोहिया ग्रामीण आवास में सोलर माड्यूल, डी0 सी0 लाइट्स एवं फैन आदि की विशिष्टियॉ निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

(1) प्रत्येक आवास में 03 वॉट के दो ल्यूमेनियर,जो कम से कम 210 ल्यूमेन के हो।

(2) इसके साथ प्रत्येक आवास में 05 वॉट का एक ल्यूमेनियर,जो कम से कम 400 ल्यूमेन का हो।

(3) ब्रशलेस डी0सी0 मोटर वाला सीलिग फैन,1200 एम.एम.(48 इंच) न्यूनतम 25 वॉट का, जिसकी एयर डिलीवरी न्यूनतम 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो।

(4) मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए एक प्लग प्वाइन्ट ।

(5) सोलर पैनल एवं बैटरी, जिससे लाइट एवं पंखा एक साथ कम से कम 8 घंटे लगातार चल सके (सामान्यतया इसका आशय 120 वॉट का सोलर पैनल और 100–120 एम्पीयर घन्टे की बैटरी होगी)।

वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के आय–व्ययक की व्यवस्थानुसार बड़ी संख्या में निर्मित होने वाले लोहिया ग्रामीण आवासों के लिए सोलर लाइट व फैन तथा उनकी स्थापना का कार्य नियत समय में मात्र नेडा के माध्यम से हो पाना दुष्कर प्रतीत होता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि लोहिया आवासों में सोलर लाइट व फैन से सम्बन्धित कार्य आधे–आधे प्रदेश में नेडा तथा आर0ई0आई0एल0 (राजस्थान इलेक्ट्रिकल एवं इन्स्टूमेन्टस लि0) से आपूर्ति व स्थापना का कार्य कराया जायेगा।

(ग) लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जारी निर्देशिका के अनुसार सामान्य एवं एस0सी0पी0 के लिए धनराशि के अनुपात का पुनर्निर्धारण :–

लोहिया आवास योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार बजट की 76.5 प्रतिशत धनराशि सामान्य के लिए तथा 23.5 प्रतिशत एस0सी0पी0 के लिए व्यय करने का अनुपात निर्धारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामान्य के लिए रूपये 360.00 करोड़ तथा एस0सी0पी0 के लिए रूपये 260.00 करोड़ का प्राविधान उपलब्ध है। इस प्रकार कुल रू0 620.00 करोड़ की व्यवस्था है। उक्त रू0 620.00 करोड़ में से एस0सी0पी0 के लिए उपलब्ध रूपये 260.00 करोड़ की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि का लगभग 42 प्रतिशत है, जबकि गाइड लाइन्स के अनुसार यह धनराशि 23.5 प्रतिशत ही होनी चाहिए। अतः एस0सी0पी0 मद में वर्ष 2013–14 के लिए उपर्युक्तानुसार प्राविधानित धनराशि रूपये 260.00 करोड़ तथा सामान्य मद के लिए प्राविधानित रूपये 360.00 करोड़ के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव

संख्या–2050 (1)/38–4–2013, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2– प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/समाज कल्याण/वैकल्पिक ऊर्जा /समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4– निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
5– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादनं आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
7– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8– समस्त जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
9–निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
10–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/3
11–बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण अनुभाग।
12–एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।